

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NHPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

NHPC Office Complex,
Sector-33, Faridabad

पीपीएल - 893

22.06.2023

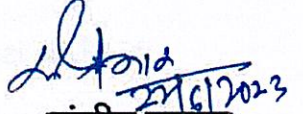
भाग I कार्यालय आदेश संख्या: 35 /2023

विषय : एनएचपीसी मानवाधिकार नीति लागू करने के संबंध में ।

एनएचपीसी मानवाधिकार नीति को अनुलग्नक के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपर्युक्त तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. यह आदेश निदेशक मंडल की मद संख्या 466.1.2 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(संजीव कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा सं)

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार

वितरण: मानक।

एनएचपीसी की मानवाधिकार नीति

1. प्रस्तावना

- 1.1 एनएचपीसी लिमिटेड, भारत सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी वाली एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी है। एनएचपीसी लिमिटेड भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से विद्युत के एकीकृत और दक्षतापूर्ण विकास की योजना को बनाने, बढ़ावा देने तथा संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 1.2 पर्यावरण और लोगों के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि इसके कारपोरेट दृष्टिकोण एवं लक्ष्य, संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्य प्रणालियों के माध्यम से की जाती है। हमारा दृष्टिकोण सक्षम, जिम्मेदार और नवीन मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के सतत विकास के लिए एक अग्रणी वैश्विक संगठन बनना है।
- 1.3 हमारे सतत दृष्टिकोण को प्रकट करने के हमारे प्रयासों के भाग के रूप में, एनएचपीसी लिमिटेड या 'कंपनी' ने व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा तथा उसमें बढोतरी करने और समावेशिता, विविधता एवं समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए इस नीति की स्थापना की है।

2.0 परिचय :

- 2.1 भारत का संविधान, जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, मूल अधिकारों के रूप में कुछ बुनियादी मौलिक मानवाधिकारों की गारंटी देता है। इन छह मौलिक अधिकारों में शामिल हैं :
- समानता का अधिकार,
 - स्वतंत्रता का अधिकार,
 - शोषण के खिलाफ अधिकार,
 - धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
 - सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और
 - संवैधानिक उपाय का अधिकार।
- 2.2 अनुच्छेद-12 के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि ये मौलिक अधिकार राज्य के लिए न्यायोचित हैं (अर्थात्, न्यायपालिका के माध्यम से लागू करने योग्य हैं)। राज्य का अर्थ है भारत सरकार और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। भारत सरकार का उद्घम होने के नाते, एनएचपीसी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

3.0 नीति :

- 3.1 एनएचपीसी लिमिटेड अपने कार्यक्षेत्र के, सभी हितधारकों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और इसे कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी यह सुनिश्चित करती है कि वह भारत के संविधान के अंतर्गत

निहित अधिकारों के साथ-साथ मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे सार्वभौमिक घोषणा तथा आईएलओ के मौलिक मानवाधिकार सम्मेलनों में निहित मानवाधिकारों की भावना की पुष्टि हो ।

3.2 एनएचपीसी लिमिटेड अपने सभी कार्यों में प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करके और अपने कर्मचारियों के आचरण को संरेखित करके बाल श्रम, जबरन श्रम, संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा (उम्र) लिंग, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विकलांगता, जाति राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मूल/, वंश, स्वदेशी स्थिति, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म और आध्यात्मिक कार्यों, राजनीतिक संबद्धता, यौन अभिविन्यास और एचआईवी/ एड्स के आधार पर) पर प्रतिबंध सहित मौलिक श्रम सिद्धांतों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करती है।

3.3 एनएचपीसी अपने कार्यस्थलों पर कर्मिकों की गरिमा का सम्मान करती है और हम अपने कर्मिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित, स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्यस्थल और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से मुक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही हैं। हम अपने कर्मिकों के साथ वेतन, लाभ एवं रोजगार की अन्य शर्तों के संबंध में न्यायपूर्ण और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और उनके संघटन की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देते हैं। हम जबरन या बाल श्रम का प्रयोग नहीं करते। हम काम में भेदभाव को वर्दाशत नहीं करते हैं और जहां भी एनएचपीसी संचालित होती है या कार्य करती है, वहां समान अवसर के मानकों को सुनिश्चित करते हैं।

3.4 कंपनी अपने व्यवसायिक साझेदारों और ठेकेदारों को भी मानव अधिकारों का सम्मान करने, लागू अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करने और इस नीति की भावना व इरादों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

4.0 प्रयोज्यता

यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड (यहां सामूहिक रूप से "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के सभी कर्मिकों और हितधारकों पर लागू होती है। यह नीति उन स्वतंत्र ठेकेदारों और व्यावसायिक भागीदारों के लिए एक परामर्शी के रूप में भी काम करेगी, जो 'कंपनी' से जुड़े हैं ताकि वे भी इस नीति में निहित सिद्धांतों को अपनाएं और बनाए रखें।

5.0 सिद्धांत

5.1 समान अवसर, गैर-भेदभाव, मुक्त विविधता और समावेशन

कंपनी एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करती है, जिसमें विविधता को महत्व दिया जाता है और सभी कर्मिकों और हितधारकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं।

कंपनी का प्रयास है कि उसके सभी प्रचालन क्षेत्रों में कार्य वातावरण किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहे। कंपनी जाति, पंथ, धर्म, भाषा, नस्ल, अक्षमता, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, जातीयता, रंग, वैवाहिक स्थिति या संघ संगठन अथवा उपयुक्त कानूनों द्वारा संरक्षित अन्य स्थिति, के आधार पर मुआवजे, प्रशिक्षण, अवसरों और कर्मिक लाभ के मामले में भेदभाव को निषेध/ प्रतिबंधित करती है।

5.2 उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी अपने कार्मिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और शारीरिक, मौखिक अथवा मनोवैज्ञानिक जैसे सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यौन उत्पीड़न और/अथवा ऐसे किसी भी आचरण के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' रखती है तथा ऐसे आचरण को प्रतिबंधित करती है जो अवांछित या अनचाहे यौन प्रयासों सहित आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।

5.3 संघ की स्वतंत्रता

कंपनी अपने कार्मिकों को किसी भी भय के बिना, उनके रोजगार से संबंधित मामलों में संघ की स्वतंत्रता का प्रयोग करने, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, उनके अधिकार को पहचानती है और उसका सम्मान करती है। कंपनी, लागू कानूनों/ दिशा-निर्देशों/ विनियमों के अनुसार अपने कार्मिकों की सामूहिक समझौताकर्ता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है और उसका सम्मान करती है।

5.4 श्रम मानक

कंपनी उद्योग के सापेक्ष, और मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित सामूहिक समझौताकर्ता समझौतों के अनुसार सभी निष्पक्षता प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक पैकेज प्रदान करती है। कंपनी अपने सभी नियमित कार्मिकों के साथ-साथ अनुबंधित श्रमिकों के लिए वेतन, कार्य अवधि, छुट्टियों, वेतन और लाभ के साथ छुट्टी से संबंधित लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

5.5 सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल

कंपनी दुर्घटना, चोटों और खतरों के जोखिमों पर ध्यान देते हुए निरंतर आधार पर सुरक्षित, उपयुक्त कार्यस्थल प्रदान करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी सीधे तौर पर या एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से, जैसा लागू हो, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता, निगरानी और भागीदारी की संस्कृति विकसित करने पर जोर देता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा खतरों से संबंधित चिंताओं और सुझावों को कंपनी के समक्ष उजागर करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि इका निवारण हो सके।

5.6 बाल श्रम एवं जबरन श्रम पर रोक

कंपनी बाल श्रम, जबरन श्रम और किसी भी प्रकार की मानव तस्करी के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' रखती है और इसे प्रतिबंधित करती है। कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके किसी भी प्रचालन और प्रतिष्ठान में बाल या जबरन श्रम की कोई घटना नहीं होती है। कंपनी संबंधित विक्रेताओं, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भी बाल और/या जबरन श्रम कराने से रोकती है।

5.7 निजता का अधिकार

कंपनी अपने कर्मिकों और अन्य हितधारकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने हितधारकों की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत जानकारी/ डेटा को प्रकट नहीं करती है, जब तक कि कानूनी/ वैधानिक प्राधिकारियों आदि द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता न हो।

5.8 स्थानीय समुदाय/ हितधारक सहभागिता

कंपनी जिन समुदायों के बीच काम करती है वहां के लोगों की संस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और मूल्यों का सम्मान करती है। कंपनी स्थानीय समुदायों के साथ सतही अधिकार, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे उन मानवाधिकार मामलों पर काम करती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। कंपनी देशी लोगों के साथ-साथ कमजोर और वंचित समूह सहित इन समुदायों के लोगों के साथ कार्य करती है। कंपनी का अपना व्यवसाय संचालित करते हुए यह लक्ष्य है कि वह बातचीत के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि वह व्यवसाय के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके विचारों को सुने, उनसे सीखे और और उन पर विचार करे।

कंपनी अपनी क्षमताओं के दायरे में, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों में सुधार के माध्यम से मानव अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और उन स्थानों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए काम करती है जहां यह बड़े पैमाने पर समुदाय के सतत विकास के लिए काम करती है।

एनएचपीसी सभी प्रबंधन प्रणालियों में मानवाधिकारों को एकीकृत करेगी, जिसमें संचालन के मानवाधिकार प्रभावों का प्रबंधन करना और परियोजना प्रभावित लोगों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचना शामिल है।

5.9 विकास का अधिकार

कंपनी अपने कार्यबल के समग्र विकास की दिशा में विभिन्न शिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम डोमेन विशिष्ट क्षेत्रों के साथ-साथ कर्मिकों के स्वास्थ्य जैसे तनाव प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सावधान रहने की क्षमता, कार्य-जीवन संतुलन, सूचना का अधिकार और स्वस्थ जीवन शैली आदि से संबंधित होते हैं।

6.0 शिकायत निवारण

मानव अधिकारों और सभ्य श्रम प्रथाओं से संबंधित कर्मिकों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए, एनएचपीसी की इकाइयों में नीतियों और वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित उपयुक्त प्रणाली एवं व्यवस्था के साथ एक शिकायत निवारण कार्य-प्रणाली स्थापित की गई है।

7.0 एनएचपीसी एसए 8000 जैसे तंत्र के प्रयोग के माध्यम से कार्यस्थल के भीतर और बाहर दोनों जगह मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करती है।

8.0 नीति का संप्रेषण, रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन :

8.1 यह नीति सभी कार्मिकों को इंटरनेट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से उचित सार्थक तरीके से सूचित की गई है।

8.2 सीएमडी, एनएचपीसी मानव संसाधन विभाग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि नीति पूरी कंपनी में लागू हो।

8.3 परियोजनाओं/ स्टेशनों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित कार्यालय प्रमुखों द्वारा और निगम मुख्यालय में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8.4 नीति के अनुपालन की नियमित निगरानी निगम मुख्यालय के मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी और नीति के उल्लंघन के संबंध में कोई भी शिकायत/ दावा निगम मुख्यालय के मानव संसाधन विभाग को सूचित किया जाएगा।

8.5 एनएचपीसी अपने सभी कार्मिकों और वैल्यू चेन पार्टनरों को मानव अधिकारों पर नीति के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित करेगी ताकि उल्लंघन के मामले में उन्हें इसके प्रमुख तत्वों और शिकायत निवारण तंत्र से परिचित कराया जा सके।

8.6 एनएचपीसी अपने कार्मिकों को सभी वैल्यू चेन में मानवाधिकारों पर विचारार्थ जागरूक करेगी और प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

8.7 नीति की रिपोर्टिंग एनएचपीसी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और धारणीयता रिपोर्ट के माध्यम से की जाएगी।

9.0 समीक्षा एवं निगरानी

9.1 एनएचपीसी लिमिटेड इच्छुक पार्टियों के फीडबैक और बातचीत का स्वागत करती है। इस नीति पर सभी फीडबैक और टिप्पणियाँ एनएचपीसी वेबसाइट के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

9.2 हम इस नीति के पालन की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की भी मांग कर सकते हैं।

10.0 संशोधन/ स्पष्टीकरण

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, इस नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों की व्याख्या करने, स्पष्ट करने, सुधारने, परिशोधित/ संशोधित करने अथवा समाप्त करने के लिए शक्ति प्राप्त और अधिकृत हैं।